सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 37/2010

सुलतान सिंह पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

निगरानीकर्ता

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. जिला परिषद्, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर
3. ग्राम पंचायत लालगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, लालगढ जाटान पंचायत समिति, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. साहबराम पुत्र श्री सुराजराम जाति जाट साकिन लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
5. मेहरचन्द
6. दाताराम
7. चुन्नीलाल पिसरान श्री सोहनलाल जाति जाट साकिन लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. भागीरथ
9. हुक्माराम
10. रामनारायण पुत्रान श्री देवीलाल जाति जाट साकिन लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. भूपराम
12. सुरेन्द्र
13. रणवीर पिसरान श्री हरीराम जाति जाट साकिन लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर
14. मणीराम पुत्र श्री जीवनराम जाति जाट साकिन लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित : 1. श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2 राजकीय अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 से 3

आदेश **दिनांक : 21–03–2016**

प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि आबादी भूमि लालगढ जाटान के खसरा नं 927, 928 में प्लॉट है जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में निगरानीकर्त्ता के पिता

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A6
2

जीवनराम के नाम से दर्ज है। जीवनराम फौत हो चुका है। जीवन राम के छः लडके व एक लडकी है जिसमें चार लडके व एक लडकी फौत हो चुकी है जिनके वारिस निगरानी में बतौर गैर निगरानीकर्त्ता पक्षकार है। निगरानीकर्त्ता ने अन्य प्लॉट में मकान बना लिया तथा मकान नं 927 व 928 को पशुओं के लिए चारा डालने, पशु बांधने एवं तुड़ी डालने के काम में लेने लगा। समय निकलने के साथ साथ बने मकानात गिर गये। मौके पर सफेद जगह नोहरा के रूप में काम में लेने लगे। जीवनराम के अन्य वारिसान उन्हीं दोनों प्लॉटों में अपने–अपने मकान बनाकर रिहायश करते रहे। निगरानीकर्त्ता की हिस्सा की भूमि जो प्लॉट है पर अप्रार्थीगण नजायज कब्जा करने एवं मकान बनाने लगे तो एक प्रार्थना पत्र कलक्टर महोदय को प्रस्तुत किया, जो आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला परिषद् को भेजा गया। जिला परिषद् गंगानगर द्वारा निगरानीकर्त्ता के हक मे दिनांक 04.05.2010 को स्थगन आदेश जारी किया। तथा विकास अधिकारी, सादुलशहर को जांच हेतु भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया कि निगरानीकर्त्ता ने अपना अहाता अपने भाईयों को विक्रय कर दिया है जबकि निगरानीकर्त्ता ने अपने पिता से मिलने वाला आहाता कभी भी विक्रय नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई विक्रय पत्र या अनुबन्ध पत्र लिखकर विक्रय कर कब्जा नही दिया है। निगरानीकृत आदेश दिनांक 14.06.2010 बिना क्षेत्राधिकार का एक पक्षीय पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने पंचायत अधिनियम तथा उसके तहत बने अधिनियमों के पालना न कर विधि विपरीत बिना क्षेत्राधिकार का आदेश पारित किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 से 14 विधिवत् तामील के उपरांत उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकृत आदेश दिनांक 14.06.2010 बिना क्षेत्राधिकार का एक पक्षीय पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने पंचायत अधिनियम तथा उसके तहत बने अधिनियमों के पालना न कर विधि विपरीत बिना क्षेत्राधिकार का आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि निगरानीकृत आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। प्रकरण आपसी सम्पति के विवाद का है। प्रकरण राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः निगरानी सारहीन है, जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जिला परिषद् से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थियां श्रीमती महेश्वरी पति सुल्तान सिंह (निगरानीकर्त्ता) ने दिनांक 07.07.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 927, 928 खाता संख्या 135 ग्राम पंचायत लालगढ जाटान में उनके 1/6 हक व हिस्सा पर भागीरथ, हुक्माराम, रामनारायण सेक्रेट्री व मदनलाल को कब्जा करने से रोकने के आदेश हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की छांयाप्रति विकास अधिकारी, सादुलशहर को भेजकर नियमानुसार अतिक्रमण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

86
3

हटवाने एवं निर्माण कार्य रूकवाने की कार्यवाही कर प्रार्थियां को राहत प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा पत्र लिखा गया। उक्त पत्र के जवाब विकास अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को पत्र क्रमांक 4083 दिनांक 09.07.2009 लिखा गया, जिसमें वर्णित किया कि **आपसी प्रोपर्टी का मामला है। उक्त सम्पति ग्राम पंचायत राज्य सरकार की न होकर व्यक्ति विशेष की है।** तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने विकास अधिकारी को दिनांक 14.06.2010 को निगरानीकृत आदेश के माध्यम से विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत दोनों जांच रिपोर्ट एवं की गई अभिशंषा के आधार पर उनके कार्यालय की पूर्व पत्र दिनांक 07.07.2009 द्वारा निर्माण कार्य को रूकवाने बाबत दिये गये निर्देशों को अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार हस्तगत निगरानी में मामला ग्राम पंचायत/जिला परिषद् से सम्बन्धित न होकर आपसी प्रोपर्टी का मामला है। उक्त सम्पति ग्राम पंचायत व राज्य सरकार की न होकर व्यक्ति विशेष की है । ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21–3–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्ण सिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 21/3/16

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)